केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. **CICOM/R/2018/80061**

दिनांक 31.07.2018

सेवा में,

श्री एस. मुथुमलाई,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 13.06.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को दिनांक 26.07.2018 को ऑनलाइन अग्रसारित किया गया, से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1	आपने अपने आवेदन के माध्यम से आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । अत: आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाना जन सूचना अधिकारी के दायित्व से परे है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग के आदेशों का अनुपालन के सिवाय उस पर जन सूचना अधिकारी द्वारा किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती । विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि **http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf** पर उपलब्ध है, की धारा 20 का अवलोकन करें ।
बिंदु सं. 2	वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कु शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690